फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री बद्रीलाल **बनाम** **विपक्षी : श्री कना व अन्य**

किस्म मुकदमा – 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **पत्रावली संख्या : 236/21**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में निवेदन किया कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में भीण्डर से सालेडा जाने वाला एक सड़क मार्ग होकर उक्त रास्ते के दक्षिण दिशा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एवं अन्य खातेदारों का सामलाती कुआ आराजी चाह 1009 के पश्चिम दिशा फेरा एवं फेरा के पास एवं आराजी न. 1018 के पश्चिम दिशा उत्तर दक्षिण थूहर की बाड है और इस थूहर की बाड के पश्चिम दिशा 12 फीट चौडा रास्ता आरजी न. 1020 में होकर मौके पर विद्ययमान है जो विपक्षी चान्दी बाई की आराजी न. 1017 के उतरी दिशा एवं प्रार्थीगण की आ.न. 1018 की दक्षिण दिशा होता हुआ आगे विपक्षी कना, सवा की आराजी न. 1014/1 की उत्तरी दिशा एवं प्रार्थीगण की आ.न. 1018 की दक्षिण दिशा होता पुर्वी दिशा प्रार्थीगण की आराजी न. 1013 एवं 1009 में सदीप से यानि गत 100 वर्षो से भी अधिक समय से विद्ययमान है और उक्त रास्ते का प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण हल, बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्राली, सामद आदि लाने ले जाने, कृषि पेदावार लाने ले जाने के लिए काम में आ रहा है जिसे रास्ता संलग्न नजरी नक्शे अनुसार कायम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट पेश कर बताया कि राजस्व ग्राम सालेडा की जमाबंदी संवत् 2070–73 की खाता संख्या 294 में आराजी न. 1009, 1013, 1018 किता 3 रकबा 4–02 बिघा भूमि खातेदार बद्रीलाल, सुरेश पिता दला 1/2 रामा मोहन किशन बगदी नानी पिता भीमा 1/2 जटिया देह के नाम दर्ज है। नवीन राजस्व रेकर्ड में आराजी न. 1009, 1013, 1018 किता 3 रकबा 4–02 [illegible] आराजी नं. 1397, 1401, 1403, 1404 किता 4 रकबा 0.89 है. बनाये गए जो कि जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या 242 में खातेदार बद्रीलाल सुरेश पिता दला 1/2 रामा मोहन, किशन, बगदी, नानी पिता भीमा 1/2 जटिया देह के नाम दर्ज है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम सालेडा की आराजी न. 2383/1402 रकबा 0.35 खातेदार चांदी पत्नी सवा जटिया 1402

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:31 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.27 कना. सवा पिता रता जटिया 1400 रकबा 0.28 बावरिया पिता ... लच्छु पिता गमेरा सरसी पत्नी गमेरा 1/2 जटिया के नाम दर्ज है।

प्रकरण में उक्त रिपोर्ट अस्पष्ट होने से पुनः रिपोर्ट चाही गई जिस... तहसीलदार कानोड द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य ... प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ... इसकी अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्युनतम दूरी ... प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता एवं न्युन्तम दूरी वाला अन्य रास्ता दोनों ... तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम सालेडा ... सालेडा के आराजी न. 1403 की दक्षिण पाली से 100 वर्गमीटर आराजी नं. 1402 ... उत्तरी सीमा की पाली से 150 वर्गमीटर 15 फीट चौडा (4.5 मीटर) कुल रकबा ... है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलाव अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता ग्राम साले... सालेडा के आराजी नं. 1400 की पश्चिमी पाली से 235 वर्गमीटर 15 फीट चौंडा (4.5 ...) कुल रकबा 0.0235 है. है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व न्युन्तम दूरी वाला अन्य ... दोनो प्रस्तावित है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि प्रस्तावित रास्ता ग्राम साले... आराजी नं. 1403 किस्म चाहि द्वि. में से 0.0100 है. आराजी नं. 1402 किस्म चाहि द्वि ... 0.0025 है., आराजी नं. 1401 किस्म आराजी बारानी तृतीय में से 0.0125 है. कुल रकबा ... 0250 है . की वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार 33500 रूपये एवं आराजी नं. 1400 कि... चाही द्वि. में से 0.0235 है. कुल रकबा 0.0235 है. भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार 31490 रूपये मूल्य है। उक्त प्रस्तावित दोनो रास्तो की चौडाई 15 (4.5 मी.) है।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा न्यूनतम दूरी वाला वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसे प्रार्थी द्वारा नहीं चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में खातेदार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम दूरी वाला रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं है अन्य न्यूनतम दूरी वाला वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं होने से दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो...

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:31 IST
Reason: SelfAttested